

प्रति,

श्रीमान् कलेक्टर महोदय
(आदिवासी विकास)
जिला सागर म.प्र.

विषय :- सागर जिले में फर्शी-पत्थर उत्खनन नवीनीकरण हेतु 1.00 हे. वनभूमि श्री संजय कटारे को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :- भारत सरकार की स्वीकृति क्रमांक/8सी/32/2003-एफ.सी.डब्ल्यू./4373 दिनांक 26.11.2007.

—000—

महानुभाव,

निवेदन है कि सागर जिले के वन मंडल उत्तर सागर की आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक आर.एफ. 112 में से रकवा 1.00 हे. क्षेत्र में फर्शी-पत्थर उत्खनन लीज नवीनीकरण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से जारी की गयी थी, स्वीकृत अवधि समाप्त हो चुकी है, आवेदक पुनः स्वीकृत क्षेत्र में लीज नवीनीकरण चाहता है। इसके लिये भारत सरकार की प्रचलित बेब-साईड पर आवेदन किया गया है।

कृपया भारत सरकार के प्रचलित निर्देशों में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत स्वीकृत लीज नवीनीकरण क्षेत्र आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक आर.एफ. 112 में से रकवा 1.00 हे. के संबंध में वनाधिकार अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदक को प्रदाय करने का कष्ट करें।

स्थान :- सागर

दिनांक :- 22/06/2019



संजय
आवेदक

संजय कटारे
गांधी चौक वार्ड, सागर
(म.प्र.)